रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 284] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 6, 1970/श्रावण 15, 1892
No 284] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 6, 1970/SRAVANA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 5 SEP 1970 GOVERNMENT OF INDIA

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 6th August 1970

S.O. 2673 B/18A/IDRA/70.—Whereas the Central Government is of the opinion that Mahalaxmi Mills Ltd., Bhavnagar, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 18-A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Gujarat State Textile Corporation (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking namely, Mahalaxmi Mills Ltd., Bhavnagar, subject to the following terms and conditions, namely:—

(i) the Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government;

(ii) the Authorised Controller shall hold office for two years from the date of publication in the official Gazette of this notified order;

(iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier if it considers necessary to do so.

2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the official Gazette.

[No. F. 9(1)Lic.Pol./68.]

R. C. SETHI, Under Secy.

औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 1970

एस० ओ० 2673B/18ए आई० डी० आर० ए०/70.—चूंकि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि महालक्ष्मी मिल्स लि०, भावनगर, का, जो एक ऐसा औद्योगिक उपक्रम है जिसके संबंध में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के अधीन जांच की गई है, प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो सार्वजनिक हित के लिए बहुत अहितकर है ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा गुजरात राज्य वस्त्र निगम को (जिसे इस में इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त सम्पूर्ण उपक्रम अर्थात् महालक्ष्मी मिल्स लि०, भावनगर का प्रबन्ध निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है अर्थात्:-

(1) प्राधिकृत नियंत्रक, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए सभी निदेशों का अनुपालन करेगा ।

(2) प्राधिकृत नियंत्रक इस अधिसूचित आदेश के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के लिए पद धारण करेगा ।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे तो वह प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति को इससे पूर्व रद्द कर सकेगी ।

2. यह आदेश शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की कालावधि के लिए प्रभावी रहेगा ।

[सं० फा० 9 (1) एल० आई० सी० पोल/70]

आर० सी० सेठी, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970